

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 317217
ग्रा0वि0-8/(थ)-59/2006

पटना, दिनांक 12-07-2017

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा योजनांतर्गत पंचायत स्तर पर संधारित खाते को बंद करने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 218069 दिनांक 28.01.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करना चाहेंगे । जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर संधारित मनरेगा योजना के खातों से राशि का स्थानान्तरण State Employment Guarantee Fund में किया जाए ।

इस क्रम में ज्ञात हुआ है कि पंचायत स्तर पर संधारित खाता अब तक बंद नहीं किया गया है जबकि उक्त खातों का e-FMS / Ne-FMS लागू होने के उपरांत कोई उपयोग नहीं है । साथ ही इन खातों से हस्तांतरण विभागीय निर्देश के प्रतिकूल है ।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि मनरेगा अंतर्गत पंचायत स्तर पर संधारित सभी खातों में अवशेष राशि को State Employment Guarantee Fund, A/C No. 3070652088, Central Bank of India, Budhmarg, Patna में अतिलंब अंतरित करते हुए सभी खातों को दिनांक 17.07.2017 तक बंद कर विभाग को सूचित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव